सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति
(2022-23)

सत्रहवीं लोक सभा

114

एक सौ चौदहवां प्रतिवेदन

[कोयला खान भविष्य निधि संगठन, धनबाद के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में विलंब से संबंधित समिति के छियासीवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में की गई सिफारिशों/टिप्पणियों पर कोयला मंत्रालय द्वारा की-गई-कार्रवाई]

(27 मार्च 2023 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया)

सत्यमेव जयते

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली
मार्च , 2023/ चैत्र, 1945(शक)

विषय - सूची

पृष्ठ

	सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (2022-23) की संरचना	**(iii)**
	प्राक्कथन	**(iv)**
प्रतिवेदन	कोयला खान भविष्य निधि संगठन, धनबाद के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में विलंब से संबंधित समिति के छियासीवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में की गई सिफारिशों/टिप्पणियों पर कोयला मंत्रालय द्वारा की-गई-कार्रवाई	01
	परिशिष्ट	
परिशिष्ट-एक	समिति के छियासीवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में की गई सिफारिशों/टिप्पणियों पर कोयला मंत्रालय द्वारा की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाला उत्तर।	03
परिशिष्ट-दो	सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति की 23.03.2023 को हुई बैठक के कार्यवाही सारांश के उद्धरण।	12

सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति की संरचना

(2022-2023)

श्री गिरीश चन्द्र	-	सभापति

सदस्य

2. डॉ. शफीकुर्रहमान बर्क
3. डॉ. ए. चेल्लाकुमार
4. श्री पल्लब लोचन दास
5. श्री चौधरी मोहन जटुआ
6. चौधरी महबूब अली कैसर
7. डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे
8. श्री मारगनी भरत
9. श्री जामयांग शेरिंग नामग्याल
10. श्रीमती अपरूपा पोद्दार
11. श्री टी.एन. प्रथापन
12. श्री एस. रामलिंगम
13. श्री सप्तगिरी शंकर उलाका
14. श्री वाई. देवेन्द्रप्पा
15. श्री अशोक कुमार यादव

सचिवालय

1.	श्री विनय कुमार मोहन	-	संयुक्त सचिव
2.	श्री नवल के. वर्मा	-	निदेशक
3.	श्री उत्तम चंद भारद्वाज	-	अपर निदेशक

प्राक्कथन

मैं, सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (2022-23) का सभापति, समिति द्वारा उसकी ओर से प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किए जाने पर, कोयला खान भविष्य निधि संगठन, धनबाद के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में विलंब से संबंधित समिति के छियासीवें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में की गई सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी यह एक सौ चौदहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

2. समिति का छियासीवां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) दिनांक 05.08.2022 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया। कोयला मंत्रालय ने छियासीवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर की गई कार्रवाई को दर्शाते हुए 03 नवंबर, 2022 को अपने उत्तर प्रस्तुत किए। समिति ने 23.03.2023 को हुई अपनी बैठक में इस प्रतिवेदन पर विचार किया और इसे स्वीकार किया।

3. समिति से संबद्ध लोक सभा सचिवालय के अधिकारियों द्वारा दी गई बहुमूल्य सहायता के लिए समिति उनकी सराहना करती है।

4. समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों को प्रतिवेदन के अंत में मोटे अक्षरों में मुद्रित किया गया है।

नई दिल्ली;

23 मार्च ,2023

02 चैत्र,1945(शक)

गिरीश चन्द्र

सभापति

सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति

सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (2022-23), लोक सभा

प्रतिवेदन

कोयला खान भविष्य निधि संगठन, धनबाद के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब से संबंधित समिति के छियासीवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में की गई सिफारिशों/टिप्पणियों पर कोयला मंत्रालय द्वारा की-गई-कार्रवाई।

समिति का यह प्रतिवेदन सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति के अपने छियासीवें प्रतिवेदन (17वीं लोकसभा) में की गई सिफारिशों/टिप्पणियों पर कोयला मंत्रालय द्वारा की गई कार्रवाई से संबंधित है जो कोयला खान भविष्य निधि संगठन (सी.एम.पी.एफ.ओ.), धनबाद के वर्ष 2015-2016 से 2020-2021 तक के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के मामले के संबंध में है और इसे 05 अगस्त, 2022 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया।

2. उक्त प्रतिवेदन की सभी टिप्पणियों/सिफारिशों से संबंधित की गई कार्रवाई उत्तरों को कोयला मंत्रालय से 3 नवंबर, 2022 को प्राप्त कर लिया गया है। छियासीवें प्रतिवेदन(17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर कोयला मंत्रालय द्वारा की गई कार्रवाई को दर्शाने वाला उत्तर **परिशिष्ट-एक** में दिया गया है।

3. **समिति ने अपने मूल प्रतिवेदन में सीएमपीएफओ के वर्ष 2015-2016 से 2020-2021 तक के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को समय से सभा पटल पर रखने के संबंध में मंत्रालय की विफलता को इंगित किया था और मंत्रालय को यह सिफारिश की थी कि वह सीएमपीएफओ के अपेक्षित दस्तावेजों को भविष्य में निर्धारित**

समय के भीतर सभा पटल पर रखना सुनिश्चित करे मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए गए की गई कार्रवाई उत्तर से समिति नोट करती है कि दस्तावेजों को निर्धारित समय अवधि के भीतर सभा पटल पर रखने को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मंत्रालय ने सीएमपीएफओ के परामर्श से वित्त वर्ष की समाप्ति के बाद वार्षिक लेखाओं को जल्द पूरा करने के लिए डेटा के इलेक्ट्रॉनिक संग्रहण और प्रसंस्करण को शामिल किया था ताकि लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र शीघ्र प्राप्त करने हेतु इसे लेखापरीक्षा को भेजा जा सके। मंत्रालय इस संबंध में सीएमपीएफओ की प्रगति की सावधानीपूर्वक निगरानी कर रहा है। वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को अंतिम रूप देने पर, सीएमपीएफओ द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से न्यासी बोर्ड का शीघ्रता से अनुमोदन भी हासिल किया जा रहा है विलंब से बचने के आग्रह के साथ उक्त मामले को लेखापरीक्षा प्राधिकरी के साथ भी उठाया गया था। समिति को यह आश्वासन दिया गया था कि सीएमपीएफओ के वर्ष 2021-22 के अपेक्षित दस्तावेजों को केवल 2-3 माह के विलंब से और वर्ष 2022-23 के दस्तावेजों को निर्धारित समय के भीतर सभा पटल पर रखा जाएगा। समिति आशा करती है कि मंत्रालय द्वारा किए गए सुधारात्मक उपायों और एटीआर में दिए गए आश्वासन के अनुसार सीएमपीएफओ के वर्ष 2021-22 के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं संसद के आगामी बजट सत्र में और उतरवर्ती वर्षों के दस्तावेजों को निर्धारित समय के भीतर सभा पटल पर रखा जाएगा समिति को इस संबंध में मंत्रालय द्वारा की गई कार्रवाई से अवगत कराया जाए।

नई दिल्ली;

23 मार्च ,2023

02 चैत्र, 1944(शक)

गिरीश चन्द्र

सभापति

सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति

<u>परिशिष्ट-एक</u>

<u>(प्रतिवेदन का पैरा 02 देखिए)</u>

कोयला खान भविष्य निधि संगठन, कोलकाता के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब से संबंधित समिति के छियासीवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में की गई सिफारिशों/टिप्पणियों पर कोयला मंत्रालय द्वारा की गई कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण।

सिफारिश क्रमांक 23

कोयला मंत्रालय (एमओसी) के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन कोयला खान भविष्य निधि संगठन (सीएमपीएफओ) वार्षिक प्रतिवेदनों ओर लेखापरीक्षित लेखाओं को समय पर सभा पटल पर रखने में लगातार चूककर्ता रहा है। सीएमपीएफओ के वर्ष 2015-2016 से 2018-2019 तक के संबंधित दस्तावेजों को सभा पटल पर रखने की तारीख की जांच से पता चलता है कि दस्तावेजों को सभा पटल पर रखने में बार-बार और अत्यधिक विलंब हो रहा है। सीएमपीएफओ के वर्ष 2019-2020 और 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखाओं को क्रमशः 31.12.2020 और 31.12.2021 तक सभा पटल पर रखा जाना चाहिए था जिन्हें अभी तक सभा पटल पर नहीं रखा गया हैं। समिति नोट करती है कि एमओसी द्वारा सीएमपीएफओ के दस्तावेजों को सभापटल पर रखने में होने वाला विलंब हाल की उत्पत्ति नहीं है। समिति ने 17 अप्रैल, 1986 को लोक सभा में प्रस्तुत अपने 8वें प्रतिवेदन (8वीं लोक सभा) में तथा 24 अगस्त, 2013 को पुनः लोक सभा में प्रस्तुत 13वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में सीएमपीएफओ के उक्त

दस्तावेजों को सभा पटल पर रखने के समय का अनुपालन करनें में मंत्रालय की विफलता को उजागर किया था।

सरकार का उत्तर

वर्ष 2015-2016 से 2018-2019 से संबंधित सीएमपीएफओ के वार्षिक प्रतिवेदनों ओर लेखापरीक्षित लेखाओं (एआरएंडएए) को सभा पटल पर रखने में निश्चित रूप से विलंब हुआ। हालांकि, उसके बाद एआर एंड एए को अविलंब सभा पटल पर रखने के ईमानदारीपूर्वक प्रयास किए गए थे। कोयला मंत्रालय द्वारा व्यापक लेखापरीक्षा के कारण, वर्ष 2017-18 के सभा पटल पर रखे जाने वाले दस्तावेजों को मार्च, 2021 में सभा पटल पर रखा गया। उसके बाद, कैस्केडिंग प्रभावों के कारण, वर्ष 2018-19 के लिए दस्तावेजों को दिसंबर, 2021 (राज्य सभा)/फरवरी 2022 (लोक सभा) को सभा पटल पर रखा गया था।

2. वर्ष 2019-20 के लिए एआर/एए को 25.07.2022 (राज्य सभा) और 27.07.2022 (लोक सभा) को संसद के दोनों सदनों के सभा पटल पर रखे गए हैं। वर्ष 2020-2021 के लिए दस्तावेज प्रतीक्षित है, जिन्हें दिसंबर, 2021 में सभा पटल पर रखा जाना था और इसे नवंबर, 2022 में संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में सभा पटल पर रखा जाएगा। वर्ष 2021-2022 के लिए दस्तावेजों को सभा पटल पर रखने में लगभग 2 से 3 माह का विलंब होगा। तत्पश्चात, वर्ष 2022-23 से आगे दस्तावेजों को सभा पटल पर रखने का कार्य निर्धारित समय अवधि के अनुसार होगा।

(कोयला मंत्रालय का का.ज्ञा.सं.20054/2/2019-सीएमपीएफ दिनांक 3 नवंबर, 2022)

सिफारिश क्रमांक 24

सीएमपीएफओ के वर्ष 2015-2016 से 2019-2020 तक के अपेक्षित दस्तावेजों को सभापटल पर रखने में विलंब के कारणों की जांच करते हुए एमओसी के सचिव ने साक्ष्य के दौरान समिति को अवगत कराया कि मई 2018 के दौरान सचिव, एमओसी ने सीएमपीएफओ के लेखाओं की व्यापक लेखापरीक्षा का आदेश दिया क्योंकि एमओसी की राय में सीएमपीएफओ के लेखाओं की लेखापरीक्षा सामान्य वित्तीय नियमों में निर्दिष्ट तरीके से नहीं की जा रही थी और उक्त लेखापरीक्षा में एक वर्ष और दो महीने लगे, जिसके बाद अगस्त, 2019 के दौरान 2017-2018 के वार्षिक लेखाओं को संकलित कर लेखापरीक्षा के लिए प्रस्तुत किया गया। समिति को यह भी बताया गया कि पिछले वर्ष की लेखापरीक्षा शेष प्राप्त करने के उपरांत ही बाद के वर्षों के वार्षिक लेखाओं की भी लेखापरीक्षा की जा सकती है। समिति एमओसी द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण से आश्वस्त नहीं है क्योंकि एमोसी द्वारा प्रस्तुत उत्तरों से वह यह पाती है कि वर्ष 2015-2016 का अंतिम लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद, सीएमपीएफओ ने वार्षिक प्रतिवेदन के संकलन के चरण में दस महीने का समय लिया। यह भी देखा गया कि वर्ष 2016-17 से 2019-2020 के वार्षिक लेखाओं व प्रतिवेदनों के संकलन, दस्तावेजों के अनुवाद कराने, उन्हें मुद्रित कराने और अपने प्राधिकारियों से अनुमोदन प्राप्त करने के स्तर पर भी विलम्ब हुआ। समिति आगे यह नोट करने के लिए विवश है कि एमओसी की मासिक बैठक मे दस्तावेजों को समय से सभा पटल पर रखने के मामले की समीक्षा करने के बाद भी कोई सुधार नहीं हुआ। समिति महसूस करती है कि विलंब के लिए जिम्मेदार कारक सीएमपीएफओ के नियंत्रण में हैं और इस कारण विलंब शायद इसके प्रबंधन पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। इसलिए, समिति

सिफारिश करती है कि इस प्रकार के ढुलमुल रवैये वाली चूकों की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए।

सरकार का उत्तर

निर्धारित समय अवधि के अंदर सभा पटल पर पत्रों को रखना सुनिश्चित करने के लिए, मंत्रालय ने सीएमपीएफओ के परामर्श से वित्त वर्ष की समाप्ति के बाद वार्षिक लेखाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए डाटा का इलेक्ट्रॉनिक संग्रहण और प्रसंस्करण शुरू किया है ताकि लेखा परीक्षा प्रमाण पत्र शीघ्र प्राप्त करने के लिए इसे लेखापरीक्षा को भेजा जा सके। मंत्रालय इस संबंध में सीएमपीएफओ की प्रगति की सावधानीपूर्वक निगरानी कर रहा है। एआर एंड एए को अंतिम रूप दिए जाने पर, सीएमपीएफओ द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से न्यासी बोर्ड का शीघ्र अनुमोदन भी प्राप्त किया गया है। सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्रों के अनुवाद और मुद्रण में देरी से बचने के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं। विलंब से बचने के अनुरोध के साथ मामले को लेखापरीक्षा प्राधिकारी के साथ भी उठाया गया है।

2. वर्ष 2022-23 से सभा पटल पर पत्रों को रखने का कार्य निर्धारित समयावधि के अनुसार होगा।

(कोयला मंत्रालय का का.ज्ञा.सं.20054/2/2019-सीएमपीएफ दिनांक 3 नवंबर, 2022)

सिफारिश क्रमांक 25

विलंब का एक अन्य कारण सीएंडएजी द्वारा वर्ष 2015-2016 से लेकर 2019-2020 तक के वार्षिक लेखाओं की लेखापरीक्षा करने और उनके अंतिम लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने में लिया गया समय बताया गया था। समिति द्वारा देरी के कारणों को बताए जाने के लिए कहे जाने पर, एमओसी ने बताया कि वार्षिक लेखाओं की लेखापरीक्षा करने और अंतिम लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के मामले को स्वंय सीएमपीएफओ द्वारा सीएजी के साथ उठाया गया था। इसके अलावा, सीएमपीएफओ ने भी इस संबंध में कोई विशिष्ट उत्तर नहीं दिया है। समिति चाहती है कि संसद के समक्ष दस्तावेजों को सभा पटल पर रखने में परिणामी देरी से बचने के लिए एमओसी लेखापरीक्षा को समय पर पूरा कराने की वैधानिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए सीएंडएजी के साथ मामला उठाए। समिति चाहती है कि उन्हें उनकी सिफारिशों के अनुपालन के बारे में अवगत कराया जाए।

<u>सरकार का उत्तर</u>

संसद में दस्तावेजों को रखने में परिणामी देरी से बचने के लिए लेखापरीक्षा को समय पर पूरा करने की वैधानिक आवश्यकता का विशेष रुप से उल्लेख करते हुए मामले को लेखापरीक्षा प्राधिकारी के साथ उठाया गया था। इसके उपरांत वर्ष 2020-2021 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। नवंबर, 2022 में संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में वर्ष 2020-2021 के लिए सभा पटल पर पत्र रखे जाएंगे।

आवश्यकता पड़ने पर लेखापरीक्षा से आगे संपर्क किया जाएगा।

(कोयला मंत्रालय का का.ज्ञा.सं.20054/2/2019-सीएमपीएफ दिनांक 3 नवंबर, 2022)

सिफारिश क्रमांक 26

समिति आगे इस बात पर भी जोर देती है कि यहां विलंब की जिम्मेदारी कोयला मंत्रालय पर भी है क्योंकि मंत्रालय 1986 से ही विलंब के कारणों की निगरानी और समाधान करने में पूरी तरह से विफल रहा है। इसके अलावा, दस्तावेजों को समय से सभा पटल पर रखा जाना सुनिश्चित करने के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम तैयार करने की आवश्यकता के संबंध में समिति द्वारा दी गई सलाह (8वीं लोक सभा के आठवें प्रतिवेदन का पैरा 5.8 और 15वीं लोकसभा के 13वें प्रतिवेदन का पैरा 1.17) का एमओसी द्वारा पालन नहीं किया गया है। एमओसी, केवल सीएमपीएफओ को रिपोर्ट के समय पर तैयार करने के लिए प्रत्येक गतितिधि की समय-सारणी निर्धारित करने के लिए कहकर ही संतुष्ट हैं। इसलिए, समिति पुरजोर सिफारिश करती है कि मंत्रालय समिति की पूर्ववर्ती सिफारिशों को लागू करे और एक समय सारिणी तैयार करे ताकि सीएमपीएफओ अपेक्षित दस्तावेज निर्धारित समय के भीतर सभा पटल पर रख सके।

सरकार का उत्तर

मंत्रालय ने सीएमपीएफओ के परामर्श से एक समय-सीमा तैयार की है और संबंधित अधिकारियों को समय से पत्रों को सभा पटल पर रखने के लिए समय-सीमा का पालन करने की जिम्मेदारी दी है।

2. वर्ष 2021-2022 के लिए, सभा पटल पर पत्रों को रखने में लगभग 2-3 महीने का विलंब होगा। तत्पश्चात, वर्ष 2022-23 से पत्रों को सभा पटल पर रखने का कार्य निर्धारित समय अवधि के अनुसार किया जाएगा।

(कोयला मंत्रालय का का.ज्ञा.सं.20054/2/2019-सीएमपीएफ दिनांक 3 नवंबर, 2022)

सिफारिश क्रमांक 27

समिति यह जानकर क्षुब्ध है कि एमओसी ने वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखपरीक्षित लेखाओं को समय से सभा पटल पर रखना सुनिश्चित करने और संसद के प्रति अपनी सांविधिक जिम्मेदारी को तुरंत पूरा करने के लिए तंत्र विकसित करने हेतु कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। समिति इसे प्रशासनिक कोयला मंत्रालय/सीएमपीएफओ की ओर से एक गंभीर अनियमितता के रूप में मानती है जिसे नजरअदांज नहीं किया जा सकता है। इसलिए, समिति पुरजोर सिफारिश करती है कि एमओसी को समिति की सिफारिशों पर अत्यधिक ध्यान देना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो कि सीएमपीएफओ के लंबित दस्तावेजों को बिना किसी और विलंब के सभा पटल पर रखा जाना चाहिए और साथ ही समिति सिफारिश करती है कि एमओसी और सीएमपीएफओ को सामान्य वित्तीय नियमों (नियम 273), सीएमपीएफ योजना के पैरा 68 का भी सख्ती से पालन करना चाहिए जिसमें कहा गया है कि सीएमपीएफओ के अपेक्षित दस्तावेजों को प्रत्येक वर्ष दिसंबर के अंत तक दोनों सभाओं के पटल पर रखना आवश्यक है, साथ ही यह समिति की सिफारिशों को लोक सभा के पटल पर अपेक्षित दस्तावेजों को समय पर रखने के संबंध में भी है। समिति चाहती है कि इस संबंध में मंत्रालय द्वारा की गई/की जा रही ठोस कार्रवाई से उसे अवगत कराया जाए।

<u>सरकार का उत्तर</u>

निर्धारित समय अवधि के अंदर पत्रों को सभा पटल पर रखना सुनिश्चित करने के लिए, मंत्रालय ने सीएमपीएफओ के परामर्श से वित्त वर्ष की समाप्ति के बाद वार्षिक लेखाओं को शीघ्रता से पूरा करने के लिए डाटा का इलेक्ट्रॉनिक संग्रहण और प्रसंस्करण शुरू किया है ताकि लेखापरीक्षा प्रमाण पत्र शीघ्र प्राप्त करने

के लिए इसे लेखापरीक्षा को भेजा जा सके। मंत्रालय इस संबंध में सीएमपीएफओ की प्रगति की सावधानीपूर्वक निगरानी कर रहा है। एआर एंड एए को अंतिम रूप दिए जाने पर, सीएमपीएफओ द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से न्यासी बोर्ड का शीघ्र अनुमोदन भी प्राप्त किया गया है। विलबं से बचने के अनुरोध के साथ मामले को लेखापरीक्षा प्राधिकारी के साथ भी उठाया गया है।

(कोयला मंत्रालय का का.ज्ञा.सं.20054/2/2019-सीएमपीएफ दिनांक 3 नवंबर, 2022)

सिफारिश क्रमांक 28

समिति, यह सिफारिश भी करती है कि कोयला मंत्रालय को एक 'पोर्टल' तैयार करना चाहिए जिसमें उनके प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सभी संगठनों के अपेक्षित दस्तावेजों को सभा पटल पर रखने के संबंध में अद्यतन स्थिति उपलब्ध कराई जा सके और यह भी सुझाव देती है कि सॉफ्टवेयर/डैश बोर्ड में एक अलर्ट सिस्टम को 'पोर्टल' में शामिल किया जाए जो संस्थानों को निर्धारित समय-सारणी के अनुसार प्रत्येक चरण में अपना कार्य पूरा करने की समय सीमा से एक सप्ताह पहले चेतावनी देते रहें ताकि सभी संगठनों के अपेक्षित दस्तावेज निर्धारित समय के भीतर सभा पटल पर रखे जा सकें। समिति चाहती है कि इस संबंध में मंत्रालय द्वारा की गई कार्रवाई से उसे अवगत कराया जाए।

<u>सरकार का उत्तर</u>

मंत्रालय एनआईसी के परामर्श से, स्थिति पर नज़र रखने और निगरानी के उद्देश्य से एक पोर्टल तैयार करने की प्रक्रिया में है।

(कोयला मंत्रालय का का.ज्ञा.सं.20054/2/2019-सीएमपीएफ दिनांक 3 नवंबर, 2022)

सिफारिश क्रमांक 29

इसके अलावा, समिति यह इंगित करती है कि निर्धारित अवधि की समाप्ति के 30 दिनों के भीतर या जैसे ही सभा समवेत होते ही, जो भी बाद में हो, मंत्रालय निर्धारित अवधि के भीतर अपेक्षित दस्तावेज सभा पटल पर नहीं रखे जाने के कारण बताते हुए, एक विवरण सभा पटल पर रखने के संबंध में समिति के पूर्ववर्ती प्रतिवेदनों में की गई सिफारिशों का अनुपालन करने में असफल रहा है, अत: समिति अपनी सिफारिश के अनुसार मंत्रालय से इस विवरण को सभा पटल पर रखने की पुरजोर सिफारिश करती है।

<u>सरकार का उत्तर</u>

मंत्रालय सिफारिश का अनुपालन करेगा और माननीय समिति की सिफारिश के अनुसार विलंब के कारणों को स्पष्ट करते हुए विलंब विवरण प्रस्तुत करेगा।

(कोयला मंत्रालय का का.ज्ञा.सं.20054/2/2019-सीएमपीएफ दिनांक 3 नवंबर, 2022)

परिशिष्ट- II

सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (2022-23)

समिति की *तीसरी* बैठक का कार्यवाही सारांश

समिति की बैठक गुरुवार, 23 मार्च, 2023 को 15:00 बजे से 17:10 बजे तक समिति कमरा सं. 'ग ', संसदीय सौध, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्री गिरीश चन्द्र - ***सभापति***

सदस्य

(लोक सभा)

2. श्री पल्लब लोचन दास
3. चौधरी महबूब अली कैसर
4. श्री जामयांग शेरिंग नामग्याल
5. श्री अशोक कुमार यादव

सचिवालय

1. श्री विनय कुमार मोहन - संयुक्त सचिव
2. श्री नवल केवर्मा . - निदेशक
3. श्री उत्तम चंद भारद्वाज - अपर निदेशक

2. xx xx xx

3. तत्पश्चात, समिति ने निम्नलिखित 4 मसौदा रिपोर्ट और 8 कार्रवाई की गई मूल प्रारूप प्रतिवेदनों को विचार और अपनाने के लिए लिया: -

1 – 8 xx xx xx

9. कोयला खान भविष्य निधि संगठन, धनबाद के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में विलंब से संबंधित समिति के 86वें प्रतिवेदन (17 वीं लोक सभा) में की गई सिफारिशों टिप्पणियों पर/सरकार द्वारा की-गईकार्रवाई-;

10- 12 xx xx xx

प्रारूप प्रतिवेदनों पर समिति द्वारा विचार किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया। सभापति को समिति द्वारा इन प्रतिवेदनों को अंतिम रूप देने और लोक सभा में प्रस्तुत करने के लिए अधिकृत किया गया था।

Xx xx xx xx

Xx xx xx xx

तत्पश्चात्, समिति की बैठक स्थगित हुई।